

सं० सं०-टी-1/स्था०-(5)मु०-172/विविध/2005-...1828/
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

पत्र सं०:-

दिनांक :- 09.09.15

अधिसूचना

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के प्रथम अपीलीय लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में श्री शशि भूषण, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को पदाविहित/पदनामित किया जाता है।

श्री ललन प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी सह-लोक सूचना पदाधिकारी का अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ के पद पर स्थानान्तरित/पदस्थापित हो जाने के कारण श्री विजय कुमार, सहायक निदेशक प्रावैधिक शिक्षा को लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में पदाविहित/पदनामित किया जाता है।

श्रीमती सुमन सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी को सहायक लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में पदाविहित/पदनामित किया जाता है।


2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- टी-1/स्था०-(5)मु०-172/विविध/2005-...1828/ पटना, दिनांक :- 09/09/2015
प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रधान सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष /मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, पटना/ लोकायुक्त, पटना/ संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


7-9-15
सरकार के अपर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
Sd/-
न/१